न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना संख्या 09/2017

1. श्रीमति जमनी पत्नि स्व0 श्री हरजी
2. श्री मिठूलाल पुत्र स्व0 श्री हरजी
3. श्री सम्पतलल पुत्र स्व0 श्री हरजी
4. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री हरजी

समस्त जाति भाम्बी निवासीगण ग्राम नन्दवाडा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

............प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मसूदा बजरिये लैण्ड होल्डर

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 13.07.2017

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम शिवपुरी पटवार क्षेत्र शिवपुरी भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि ख0 न0 99 रक्बा 2–13–00 किस्म बा0 3 में मृतक स्वर्गीय श्री हरजी पुत्र स्वर्गीय श्री लूणा जी के जीवित विधिक वारिसान के रूप में प्रार्थीगण ही एक मात्र अकले खातेदार काश्तकार कायम होन चाहिये थे जो नही होकर मृतक स्वर्गीय श्री हरजी के भाई पाचू के वारिसान को भी उक्त वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार काश्तकार बना दिया गया है जो कि गलत है जिनको पुनः उक्त खाता व खसरे से विलोपित किया जावे व साथ ही राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2043–2046 के अनुसार नये खाता स0 196 व पुराने खाता स0 199 जिसका हाल ख0 न0 147 कायम किया गया है जिसके अनुसार पुनः पहले थी स्थिति कायम करते हुए नया खाता कायम किया जाकर वर्तमान में प्रार्थीगण के पति/पिता के विधिक वारिसान व मृतक पाचू के वारिसान को उक्त आराजी हाल ख0 न0 147 में कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकित कराने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी राजस्व रकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2018–21 में स्वर्गीय बख्तावर पुत्र पन्ना जाति भाम्बी निवासी शिवपुरी के नाम दर्ज है स्वर्गीय बख्तावर वल्द पन्ना ने उक्त ख0 न0 99 रक्बा 2–13–00 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1927/18–7–1978 से हरजी पुत्र लूणा कौम भाम्बी को बेची जिसका नामान्तकरण दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत् 2043–46 के खाता स0 197 में हरजी वल्द लूणा भाम्बी के नाम दर्ज है।

रोटेशन जमाबंदी सम्वत् 2047–50 में उक्त ख0 न0 99 रक्बा 2–13–00 खाता नम्बर 203 में हरजी पाचू वल्द लूणा भाम्बी के नाम दर्ज हो गई इसके वाद की जमाबंदी में भी उक्त ख0 न0 हरजी व पाचू के वारिसान के नाम सयुक्त खातेदारी में चली आ रही है जमाबंदी सम्वत् 2070–73 की खाता स0 98 में ख0 न0 99 रक्बा 2–13–00 में इन्द्राज जमनी पत्नि हरजी मिठूलाल, सम्पतलाल, ओमप्रकाश पिता हरजी सूरज पत्नि पांचू पूनाराम

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

रामकरण, सांवरलाल, रामचन्द पिता पांचू भाम्बी के स्थान पर जमनी पत्नि हरजी मिठूलाल सम्पतलाल, ओमप्रकाश पिता हरजी भाम्बी करने की अनुशंषा ख0 न0 147 रक्बा 4—19—10 का अकन यथावत रखने के आदेश पारित किये जावे।

आदेश

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान सुनी गई। उभयपक्षान के तर्क वितर्क के संदर्भ में मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने जो दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये है वे जवाब अप्रार्थी के अनुसार काबिल समाअत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम शिवपुरी की जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 के खाता स0 98 में खसरा न0 99 रक्बा 2—13—00 में इन्द्राज जमनी पत्नि हरजी, मिठूलाल, सम्पतलाल, ओमप्रकाश पिता हरजी, सूरज पत्नि पांचू, पूनाराम, रामकरण, सांवरलाल, रामचन्द पिता पांचू भाम्बी के स्थान पर जमनी पत्नि हरजी मिठूलाल, सम्पतलाल, ओमप्रकाश पिता हरजी भाम्बी किये जाने की आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार मसूदा यथानुसार राजस्व0 अभिलेख में अमल दरामद करवाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 15:26:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: